संख्या- 6/2021/ई0-01 /एक-1-2021-रा0-1

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव
राजस्व विभाग।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हापुड़।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 02 जून, 2021

विषयः-रामा एजूकेशनल सोसाइटी कानपुर द्वारा मेडिकल कालेज, नर्सिंग, पैरामेडिकल कालेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु हापुड़ जिले की धौलाना तहसील के राजस्व ग्रामों में क्रय की गयी भूमि की कार्योत्तर अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-39/सात-डीएलआरसी/2021 दिनांक 27.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रामा एजूकेशनल सोसाइटी कानपुर द्वारा मेडिकल कालेज, नर्सिंग, पैरामेडिकल कालेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु जनपद हापुड़ की धौलाना तहसील के राजस्व ग्रामों में बिना पूर्वानुमति के क्रय की गयी कुल 46.857 एकड़ भूमि के कार्योत्तर अनुमति के संबंध में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 यथासंशोधित 2020 की धारा-89(3) के आलोक में प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 यथासंशोधित, 2020 की धारा 89 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल रामा एजूकेशनल सोसाइटी कानपुर द्वारा मेडिकल कालेज, नर्सिंग, पैरामेडिकल कालेज एवं अस्पताल की स्थापना तथा चिकित्सा एवं शिक्षा सहित विविध प्रकल्पों के लिए राज्य सरकार से बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये हापुड़ जिले की धौलाना तहसील के राजस्व ग्रामों छजारसी, कुलीचनगर, गिरौनी, हिण्डालपुर व लाखन में भिन्न-भिन्न तिथियों में क्रय की गयी कुल 46.857 एकड़ भूमि के अन्तरण की कार्योत्तर स्वीकृति/विनियमितीकरण की अनुमति, जुर्माने के संदाय से छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग ''रामा एजूकेशनल सोसाइटी कानपुर द्वारा मेडिकल कालेज, नर्सिंग, पैरामेडिकल कालेज एवं अस्पताल की स्थापना के कार्यों के लिए किया जाएगा।'' स्वीकृत प्रयोजन से भिन्न भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) संस्था द्वारा कुल 46.857 एकड़ क्रय की गयी भूमि का जिलाधिकारी सर्किल रेट के अनुसार आगणित मूल्यांकन का 10 प्रतिशत अर्थात कुल रू0 41464665 (रूपये चार करोड़ चौदह लाख चौंसठ हजार छः सौ पैंसठ मात्र) के जुर्माने के संदाय से उसे छूट प्रदान की जाएगी।

(3) जिलाधिकारी द्वारा विनियमितीकरण से पूर्व संस्था के संबंधित गाटों के विक्रय पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि प्रश्नगत गाटे संस्था द्वारा क्रय किए गए हैं।

(4) भू-उपयोग परिवर्तन, मानचित्र स्वीकृति आदि की कार्यवाही संबंधित प्राधिकारी द्वारा यथानियम/यथाविधि सुनिश्चित की जाएगी।

(5) उपरोक्त शर्तों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा।

भवदीय,
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(2) प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन।
(3) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मण्डलायुक्त , मेरठ।
(5) सचिव, रामा एजूकेशनल सोसाइटी, ए/1-8, लखनपुर, कानपुर-208024
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।